न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी :– सुभाषचन्द्र
(आर.ए.एस.)

104/2011
...रस : 2011/00030
नेतराम पुत्र श्री हुकमाराम जाति जाट साकिन 33 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज। (मृतक)

1. गुडीदेवी पुत्री श्री नेतराम
2. लीलावती पुत्री श्री नेतराम
3. इन्द्रादेवी पुत्री श्री नेतराम
4. सरोज देवी पुत्री श्री नेतराम
5. विनोद कुमार पुत्र श्री नेतराम
6. सुमन धर्म पत्नी श्री रमेश उर्फ महेशकुमार
7. रेणुदेवी पुत्री श्री रमेश कुमार उर्फ महेशकुमार
8. रिकू पुत्री श्री रमेश उर्फ महेशकुमार
9. पवनकुमार पुत्र श्री रमेशकुमार उर्फ महेशकुमार

जाति जाट निवासीगण 33 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.

–: वादीगण

बनाम

बृजलाल पुत्र श्री नन्दराम जाति जाट साकिन 8 जीएम (बी) तहसील घड़साना जिला अनूपगढ़ राज.।

हंसराज पुत्र श्री नन्दराम जाति जाट साकिन 18 पीटीडी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.।

दुलीचन्द्र पुत्र श्री नन्दराम जाति जाट साकिन खांटा तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।

3/1. गुडीदेवी पत्नी श्री दुलीचन्द्र जाति जाट साकिन 18 पी तह. रायसिंहनगर।
3/2. मांगीलाल पुत्र श्री दुलीचन्द्र जाति जाट साकिन समेजा कोठी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.।
3/3. कृष्णादेवी पुत्री श्री दुलीचन्द्र धर्म पत्नी श्री राकेश कुमार जाति जाट साकिन 12 एनडी तहसील एवं जिला अनूपगढ़।
3/4. भागवन्ती पुत्री श्री दुलीचन्द्र धर्म पत्नी श्री इन्द्रपाल जाति जाट साकिन 35 एम. ओ. डी. जिला अनूपगढ.।
3/5. सुमन पुत्री श्री दुलीचन्द्र धर्म पत्नी श्री राजीव जाति जाट साकिन 12 एन.डी. तहसील एवं जिला श्री अनूपगढ.।
3/6. सुनिता धर्म पत्नी श्री हनुमान पुत्री श्री दुलीचन्द्र जाति जाट साकिन 8 एस.के. एम. घड़साना तहसील घड़साना जिला अनूपगढ़ राज.।

मुरलीधर पुत्र श्री नन्दराम जाति जाट साकिन खाटां तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ.।

बनवारी लाल पुत्र श्री नन्दराम जाति जाट साकिन खांटा तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।

राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़

–:प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–183–53–209 राज0 काश्त0 अधि0 1955</u>

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 11:19:20 IST
Reason: SelfAttested

...20.11.2006

...थतअधिवक्तागण
1. श्री कृष्णलाल पूनिया अधिवक्ता वादी।
2. श्री हरपालसिंह सूदन अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

–: निर्णय :–

दिनांक : 07.01.2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि वादी व ...ता व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के दादा श्री हुक्माराम के नाम से संवत 2025 से 2028 में

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

चक 33 पीएस के खाता संख्या 38 के मु.नं. 27 के 24 बीघा 10 बिस्वा, मु.नं. 29 के 7 बीघा, मु.नं. 30 के 12 बीघा 16 बिस्वा, मु.नं. 75/8 के 14 बिस्वा कुल 45 बीघा कृषि भूमि थी। हुक्माराम का देहान्त सन् 1972 में हो गया। हुक्माराम के देहान्त हो जाने के बाद उक्त भूमि 9 हिस्सा में विरासतन इन्तकाल हो गया है। इस इन्तकाल की नकल लेने का प्रार्थना पत्र वादी व वादी के भाई ने पेश किया तो इन्तकाल की नकल नहीं मिली प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। उक्त भूमि की भू प्रबन्ध विभाग द्वारा पैमाईश की गई तो भू प्रबन्ध विभाग ने यह माना कि हुकमाराम वल्द मोतीराम के फौत होने पर नामान्तरण संख्या 57 में नन्दराम के नाम एक हिस्सा, वादी के नाम एक हिस्सा व साहबराम के नाम 7 हिस्सा भूमि खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादी नेतराम के हिस्सा में 5 बीघा भूमि आई, उस भूमि में से चक 33 पीएस के मुरब्बा नम्बर 30 के 3 बीघा, मुरब्बा नम्बर 29 के 1 बीघा कुल 4 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम भू प्रबन्धक विभाग द्वारा दर्ज कर दी और वादी के नाम 1 बीघा भूमि दर्ज कर दी गई। नन्दराम वादी का जो भाई था। उसने भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों से वादी को बिना बताए उसकी कृषि भूमि 5 बीघा में से 4 बीघा भूमि नन्दराम ने अपने लडके प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम करवा दी। भू. प्रबन्धक विभाग के अधिकारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत कार्यवाही करने में अधिकृत नहीं थे। इसलिए भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा रिकार्ड में बंटवारा दिखाकर कृषि भूमि को कम या ज्यादा करने का अधिकारी नहीं होने के कारण उसके द्वारा की गई कार्यवाही प्रारम्भ से शून्य है। जो वादी के हितो पर निष्प्रभावी है। नन्दराम जीवित रहा तब तक तो प्रतिवादीगण चुप रहे नन्दराम का देहान्त दिनांक 07.12.2010 को हो गया उसके देहान्त होते ही प्रतिवादीगण ने मेरे नाम की कृषि भूमि जो नन्दराम ने अपने लड़के प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के नाम 4 बीघा करवाई थी। उस भूमि का कब्जा जबरन बलपूर्वक अब नई बैशाखी पर कर लिया जिसे वादी वापिस प्राप्त करने का अधिकारी है। वर्तमान में वादी के नाम सम्बत 2064 से 67 में एक बीघा भूमि कब्जा काश्त में है। इस पर वादी ने तहसील में आकर रिकार्ड में पता किया तो वादी को पता चला कि भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने मेरी 4 बीघा भूमि अपने नाम करवा ली है जो गैर कानूनी है जिसे वादी पुनः प्राप्त करने का अधिकारी हैं। इस पर वादी ने दिनांक 07.07.2011 को पंचायत इकठी कर प्रतिवादीगण से कहा कि विवादित भूमि मेरे नाम राजस्व कागजात मे करवा दो तो प्रतिवादीगण ने स्पष्ट इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के श्रवणाधिकार, क्षेत्राधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र पेश कर अर्ज है कि वाद पत्र वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि चक 33 पीएस के मु.नं. 30 के 3 बीघा, मुरब्बा नम्बर 29 के 1 बीघा कुल 4 बीघा भूमि जो भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा वादी, की प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज की [illegible] उस [illegible] वादी को खातेदार घोषित किया जावे व समस्त कृषि भूमि चक 33 पीएस के मु.नं. 27 के 24 बीघा 10 बीस्वा, मु.नं. 29 के 7 बीघा, मुरब्बा नं. 30 के 12 बीघा 16 बीस्वा 75/8 के 14 बिस्वा कुल 45 बीघा भूमि में से वादी का 1/9 हिस्सा भूमि का किलेवाईज विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 11:19:20 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता श्री हरपालसिंह सूदन ने वकालतनामा मय जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि इन्तकाल संख्या 27 के अनुसार वादी के नाम एक हिस्सा, हम प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता नन्दराम के नाम 1 हिस्सा, तथा उनके भाई साहबराम के नाम 7 हिस्सा दर्ज हुई। सन् 1976 में जब भू प्रबन्ध विभाग द्वारा भूमि का सैटलमेंट किया जा रहा था तो वादी तथा हम प्रतिवादीगण के पिता नन्दराम तथा उनके भाई साहबराम ने घरेलू बंटवारा तथा कब्जा अनुसार भूमि का सैटलमेंट करवाने की आपसी सहमति हुई तथा नन्दराम के हिस्सा की भूमि हम प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करवाया जाना स्वीकार किया। इसी उद्देश्य के लिए वादीगण व हम प्रतिवादीगण तथा साहबराम व अन्य सहखातेदारान ने भू प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष दिनांक 30.12.1976 को एक प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें कब्जा अनुसार भूमि का विभाजन किए जाने की इश्तदुआ की। जिस पर भू प्रबन्धक के पटवार तथा लिपिक द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाकर निर्णय पारित किया गया। जिसके अनुसार हम प्रतिवादीगण के नाम चक 33 पीएस का मुरब्बा नम्बर 8 पत्थर नम्बर 257/291 का किला नम्बर 3, 8 सालम–सालम व मुरब्बा नम्बर 27 पत्थर नम्बर 260/294 के किला नम्बर 21 ता 24 सालम–सालम व मुरब्बा नम्बर 29 पत्थर नम्बर 259/295 के किला नम्बर 1 ता 6 सालम–सालम व मुरब्बा नम्बर 30 पत्थर नम्बर 260/295 के किला नम्बर 1 ता 13 सालम–सालम कुल 25 बीघा का इन्तकाल दर्ज किया गया। जिसमें वादी तथा उसके भाई साहबराम की पूर्ण सहमति रही है। वादी के द्वारा आज दिनांक तक भू प्रबन्ध विभाग के निर्णय दिनांक 30.12.1976 के विरूद्व कोई अपील अथवा निगरानी पेश नहीं की है। भू प्रबन्ध विभाग का निर्णय अन्तिम हो चुका है। भू. प्रबन्ध विभाग राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की सभी धाराओं के तहत कार्यवाही करने के लिए सक्षम हैं। उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्णय पारित किया गया है। जो अन्तिम हो चुका है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के अनुसार 30 साल की अवधि से ऊपर निर्णय पारित होने के बाद उस निर्णय कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से चुनौति नहीं दे सकता है जबकि इस प्रकरण में भी 30 साल से अधिक की अवधि समाप्त हो चुकी हैं। वादी को इस आदेश के संबंध में कोई आपत्ति थी तो उस आदेश के विरूद्व वादी को सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिए थी जो आज तक वादी ने कही भी नहीं की है। इसलिए भी वाद काबिल खारिजी के हैं। राजस्थान सरकार की तरफ से पैरोकार राज नायब तहसीलदार मुकालावा ने दिनांक 05.03.2013 जवाब पेश कर निवेदन किया है कि उक्त प्रकरण पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद का है जिसमें राज्य सरकार को भू. धारक होने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया है व कोई अनुतोष राज्य सरकार के [illegible] चाहा गया है इसमें कोई राजकीय हित निहित नहीं है। वादी [illegible] प्रबन्ध विभाग की कार्यवाही व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के विरूद्व ही अन[illegible] चाहा है। जवाब सरकार शामिल मिसल किया गया। वादी अधिवक्ता [illegible] प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पेश किया। जो बाद सु[illegible]ई स्वीकार किया गया। प्रार्थी विनोद कुमार की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 11:19:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

SCAN AnyScanner

सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 190 भू–राजस्व अधिनियम पेश किया। जो बाद सुनवाई खारिज किया गया। वादी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया गया।

3. हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित कियेः–

(i)आया कि वादी के पिता प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 के दादा श्री हुक्माराम के नाम चक 33 पीएस के मु.नं. 27 के 24 बीघा 10बिस्वा, मु. नं. 29 के 7 बीघा, मु.नं. 30 के 12 बीघा 16 बिस्वा, मु.नं. 75/8 के 14 बिस्वा कुल 45 बीघा कृषि भूमि थी। उनके देहान्त हो जाने के बाद उक्त भूमि 9 हिस्सा में विरास्तन में मिली और वादी का 1/9 हिस्सा यानि 5 बीघा भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है ? –:जिम्मेवादी–

(ii) आया कि उक्त 5 बीघा में से 4 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने भू–प्रबन्धक विभाग से अपने नाम करवा ली जो गैरकानूनी है। भू प्रबन्धक विभाग के अधिकारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत कार्यवाही करने से अधिकृत नहीं है। इसलिए वादी अपने हिस्से की 5 बीघा भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है ? –:जिम्मेवादी

(iii)आया कि पक्षकारान के मध्य उक्त विभाजन हुए लगभग 30 साल हो चुके है। इसलिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के अनुसार इस अवधि में कोई एतराज नहीं होने की वजह से अब आपती मान्य नही हैं? प्रतिवादीगण

(iv)अनुतोष।

4. वादीगण के द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह विनोद कुमार ने शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किया व प्रदर्श–1 चक 33 पीएस की जमाबन्दी सम्वत 2025 ता 2028 हुकमा राम वल्द मोतीराम की प्रति, प्रदर्श–2 चक 33 पीएस की जमाबन्दी नेतराम वल्द हुकमाराम की प्रति, प्रर्दश–3 चक 33 पीएस नदंराम वगैरह बस्ता संख्या 173 में अंकित बंटवारानामा की प्रमाणित प्रति भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी की प्रति, प्रदर्श–4 चक 33 पीएस की जमाबन्दी नेतराम वल्द हुकमाराम प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–5 चक 33 पीएस बृजलाल आदि की वर्तमान जमाबन्दी की प्रति, प्रदर्श–6 इन्तकाल संख्या 57 रजिस्टर में दर्ज न होने की रिपोर्ट की प्रति, प्रदर्श–7 प्रार्थना पत्र खारिजी प्रति, प्रदर्श–8 चक 33 पीएस के मुरब्बा नम्बर 27, 29, 39, 36 का नजरी नक्शा की प्रति प्रदर्शित करवाए गए। जिरह वकील प्रतिवादी द्वारा की गई। ब्यान शामिल मिसल किए गए। प्रतिवादी[illegible] के समर्थन में गवाह मुरलीधर व बनवारी लाल ने शपथ पत्र [illegible] साक्ष्य पेश किया। जिरह वकील वादी द्वारा की गई। [illegible]

5. हमने अधिवक्तागण उभयपक्षकारन की बहस सुनी तथा [illegible] पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज[illegible] का भली भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का [illegible]की वार

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 11:19:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

AnyScanner

पृथक–पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक समझते है जो निम्नानुसार है:–

तनकी संख्या (i) आया कि वादी के पिता प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 के दादा श्री हुक्माराम के नाम चक 33 पीएस के मु.नं. 27 के 24 बीघा 10बिस्वा, मु.नं. 29 के 7 बीघा, मु.नं. 30 के 12 बीघा 16 बिस्वा, मु.नं. 75/8 के 14 बिस्वा कुल 45 बीघा कृषि भूमि थी। उनके देहान्त हो जाने के बाद उक्त भूमि 9 हिस्सा में विरास्तन में मिली और वादी का 1/9 हिस्सा यानि 5 बीघा भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है ?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की थी। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी संख्या 1/1 ता 1/9 के दादा हुक्माराम पुत्र मोतीराम जाति जाट के नाम चक 33 पीएस के खाता संख्या 38 के मु.नं. 27 के 24 बीघा 10 बिस्वा, मु.नं. 29 के 7 बीघा, मु.नं. 30 के 12 बीघा 16 बिस्वा, मु.नं. 75/8 के 14 बिस्वा कुल 45 बीघा भूमि दर्ज रिकार्ड थी। हुक्माराम का देहान्त सन् 1972 में हो गया। हुक्माराम के देहान्त हो जाने के बाद उक्त भूमि उनके के विधिक वारिस साहबराम, नेतराम, नन्दराम पुत्र व गोमती, शांति, सावित्री, रूकमनी, परमेश्वरी, विद्या पुत्रियां कुल नौ वारिस थे। प्रत्येक के 1/9 हिस्सा भूमि यानि 5 बीघा आती थी। प्रदर्श–3 चक 33 पीएस नदंराम वगैरह बस्ता संख्या 173 में भू सहायक भू. प्रबन्ध अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.1976 के मुताबिक वादगत उक्त 45 बीघा भूमि में से हुकमाराम वल्द मोतीराम के फौत होने पर नामान्तरण संख्या 57 से नन्दराम 1 हिस्सा यानि 5 बीघा, नेतराम 1 हिस्सा यानि 5 बीघा, साहबराम 7 हिस्सा यानि 35 बीघा भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। नेतराम ने अपने पिता से प्राप्त हिस्सा में से 4 बीघा व साहबराम ने अपने हिस्सा में से 8 बीघा अपने बडे भाई के लडके बृजलाल वगैरह को व नन्दराम ने अपना हिस्सा अपने पांचों लडके बृजलाल, हंसराज, दुलीचन्द, मुरलीधर, बनवारी लाल को दिया और राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने हेतु निवेदन किया गया है। वादी के अधिवक्ता के अपने वादपत्र के समर्थन में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान के न्यायिक दृष्टांत आर.एल. डब्ल्यू 2010(2)आरजे रामरतन बनाम भगवान सहाय व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 10.03.2010 की प्रति पेश की। जिसके अनुसार भू. प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान सहायक भू.प्रबन्ध अधिकारी द्वारा केवल सक्षम न्यायालय के निर्णय व डिक्री, विधिक हस्तान्तरण या सक्षम अधिकारी के आदेश से ही खातेदारी में परिवर्तन किया जा सकता है। कानून का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि सैटलमेन्ट विभाग को राजस्व अभिलेख में इन्द्राजों को ही दोहरायेगे। भू. प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान सहायक भू. प्रबन्ध अधिकारी को केवल तीन दशाओं में अर्थात विरास्तन, विधिक हस्तान्तरण एवं सक्षम न्यायालय के आदेश मे ही राजस्व अभिलेख में परिवर्तन करने की अधिकारिता है। भू. प्रबन्ध ... को राजस्व अभिलेख में परिवर्तन करने व खातेदारी अधिकारों की ... अधिकारिता नही है। सहायक भू. प्रबन्ध अधिकारी को किसी की खा... निरस्त करने का दूसरे को खातेदारी देने का अधिकार नहीं है। सहायक भू. प्रबन्ध अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 30.12.1976 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को खातेदारी अधिकार प्रदत किये है व भू.प्रबन्ध अधिकारी को पक्षकारों की

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 11:19:20 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

सहमति से बंटवारा करने की अधिकारिता नहीं थी। भू–प्रबन्ध विभाग के द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को खातेदारी अधिकार प्रदान किए है। जो प्रारम्भ से ही शून्य है। लिहाजा वादीगण वादगत भूमि में से 4 बीघा भूमि का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है। वादीगण इस तनकी को सिद्व करने मे सफल रहे है। अतः यह तनकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (ii) आया कि उक्त 5 बीघा में से 4 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने भू–प्रबन्धक विभाग से अपने नाम करवा ली जो गैरकानूनी है। भू प्रबन्धक विभाग के अधिकारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत कार्यवाही करने से अधिकृत नहीं है। इसलिए वादी अपने हिस्से की 5 बीघा भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है ? —:जिम्मेवादी

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की थी। पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में निर्णीत की जा चुकी है। प्रदर्श–3 चक 33 पीएस नदंराम वगैरह बस्ता संख्या 173 में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.1976 के मुताबिक वादगत उक्त 45 बीघा भूमि में से हुकमाराम वल्द मोतीराम के फौत होने पर नामान्तरण संख्या 57 से नन्दराम 1 हिस्सा यानि 5 बीघा, नेतराम 1 हिस्सा यानि 5 बीघा, साहबराम 7 हिस्सा यानि 35 बीघा भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। नेतराम ने अपने पिता से प्राप्त हिस्सा में से 4 बीघा व साहबराम ने अपने हिस्सा में से 8 बीघा अपने बडे भाई के लडके बृजलाल वगैरह को व नन्दराम ने अपना हिस्सा अपने पांचों लडके बृजलाल, हंसराज, दुलीचन्द, मुरलीधर, बनवारी लाल को दिया और राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने हेतु निवेदन किया गया है। वादी के अधिवक्ता के अपने वादपत्र के समर्थन में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान के न्यायिक दृष्टांत आर.एल. डब्ल्यू 2010(2)आरजे रामरतन बनाम भगवान सहाय व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 10.03.2010 की प्रति पेश की। जिसके अनुसार भू. प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान सहायक भू.प्रबन्ध अधिकारी द्वारा केवल सक्षम न्यायालय के निर्णय व डिक्री, विधिक हस्तान्तरण या सक्षम अधिकारी के आदेश से ही खातेदारी में परिवर्तन किया जा सकता है। परन्तु सहायक भू. प्र.भू अधिकारी के द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 88, 53 के तहत वादी नेतराम को अपने पिता से विरास्तन प्राप्त 5 बीघा भूमि में से 4 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को खातेदार घोषित किया जाकर अलग से खाता तकसीम किया गया है। सहायक भू. प्रबन्ध अधिकारी को निर्णय दिनांक 30.12.1976 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को दिये गये अनुतोष की अधिकारिता नहीं थी। जो प्रारम्भ से ही शून्य है। वादीगण इस तनकी को सिद्व करने मे सफल रहे है। अतः यह तनकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या(iii)आया कि पक्षकारान के मध्य [illegible] 30 साल हो चुके है। इसलिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 [illegible] र इस अवधि में कोई एतराज नहीं होने की वजह से [illegible]

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी [illegible] थी। पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के [illegible] चुकी है। प्रतिवादीगण के द्वारा अपने जवाबदावा में कथन किए है कि भू. [illegible] न्ध विभाग

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 11:19:20 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की सभी धाराओं के तहत कार्यवाही करने के लिए सक्षम हैं। उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्णय पारित किया गया है। जो अन्तिम हो चुका है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के अनुसार 30 साल की अवधि से ऊपर निर्णय पारित होने के बाद उस निर्णय कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से चुनौती नहीं दे सकता है जबकि इस प्रकरण में भी 30 साल से अधिक की अवधि समाप्त हो चुकी हैं। वादी को इस आदेश के संबंध में कोई आपत्ति थी तो उस आदेश के विरूद्व वादी को सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिए थी जो आज तक वादी ने कही भी नहीं की है। इसलिए भी वाद काबिल खारिजी के हैं। लिहाजा सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी को वादगत भूमि के बंटवारानामा को तस्दीक कर विभाजन करने की अधिकारिता नहीं थी। सहायक भू. प्रबन्ध अधिकारी को द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.1976 प्रारम्भ से ही शून्य है। इसके साथ–साथ प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त तनकीयात के सन्दर्भ में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। जिससे साबित होता हो कि सहायक भू. प्रबन्ध अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.1976 में प्रस्तुत आपत्तिया मान्य न हो। प्रतिवादीगण इस तनकी को साबित करने मे असफल रहे है। अतः यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

(iv) अनुतोष।

तनकी संख्या 1, 2 बहक वादीगण व तनकी संख्या 3 विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की गई है। अतः वादीगण को अनुतोष प्रदान करना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक मे वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88, 209, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली–भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 33 पीएस, पटवार क्षेत्र खाटा, भू.अ. नि. क्षेत्र सांवतसर की जमाबन्दी सम्वत 2064 ता 2067 के खाता संख्या 44/49 में वादीगण को 1.012 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उपुर्यक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने व कब्जा वादीगण को दिलाए जाने के आदेश दिए जाते है। शेष खाता व रहन बदस्तूर रहेगा। पर्चा डिक्री इस आशय की जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्डअधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 07.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 11:19:20 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आदेश 20 रूल 6–7 जाब्ता : दीवानी)
C/VIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) मुकाम रायसिंहनगर
बईजलास :सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 104/2011
जीसीएमएस : 2011/00030
अनवानः नेतराम बनाम बृजलाल आदि
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188,183, 209 आरटीए

निर्णय दिनांकः–07.01.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई बरूबरू हमारे ब हाजरी श्री कृष्ण कुमार ...ा अधिवक्ता वादी व श्री हरपाल सिंह सूदन अधिवक्ता प्रतिवादीगण पेश होकर हुकम ...जाकर अन्तिम डिक्री दी जाती है किः– वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88, 209, 183 ...थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली–भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर ...व ग्राम 33 पीएस, पटवार क्षेत्र खाटा, भू.अ.नि. क्षेत्र सांवतसर की जमाबन्दी सम्वत 2064 ...2067 के खाता संख्या 44/49 में वादीगण को 1.012 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित ...जाकर उपुर्यक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने व कब्जा वादीगण को दिलाए ...के आदेश दिए जाते है।

डिक्री आज दिनांक 07.01.2025 को जारी की गई।

(सुभाषचन्द्र)
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
दिनांकः–

...क/रीडर/2025/
...लिपिः–
...सीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

(सुभाषचन्द्र)
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 11:19:20 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner